



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092024-256921  
CG-DL-E-05092024-256921

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3426]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2024/ भाद्र 12, 1946

No. 3426]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2024/ BHADRA 12, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2024

**का.आ. 3756(अ).**—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 412 तारीख 23.02.2024 जो भारत के राजपत्र तारीख 03.03.2024-09.03.2024, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में मुम्बई – नागपुर – झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के नागपुर - जबलपुर पाइपलाइन खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

| मुम्बई—नागपुर—झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन |         |             |           |           |    |          |
|------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|-----------|----|----------|
| अनुभाग—नागपुर—जबलपुर                           |         |             |           |           |    |          |
| अनुसूची                                        |         |             |           |           |    |          |
| राज्य : मध्यप्रदेश                             |         |             |           |           |    |          |
| जिला                                           | तहसील   | गाँव का नाम | सर्वे नं. | क्षेत्रफल |    |          |
|                                                |         |             |           | हेक्टेअर  | आर | वर्गमीटर |
| 1                                              | 2       | 3           | 4         | 5         |    |          |
| छिंदवाड़ा                                      | चौरई    | नारायणपुर   | 7         | 00        | 01 | 05       |
| छिंदवाड़ा                                      | चौरई    | जमुनिया     | 338       | 00        | 01 | 00       |
|                                                |         |             | 342/1/6   | 00        | 12 | 75       |
| सिवनी                                          | सिवनी   | जैतपुरखुर्द | 112       | 00        | 02 | 69       |
| सिवनी                                          | सिवनी   | चंदोरीकलां  | 543/7     | 00        | 01 | 05       |
| सिवनी                                          | सिवनी   | जमुनिया     | 617/1     | 00        | 16 | 90       |
| सिवनी                                          | छपारा   | घोघरी—14    | 2/3       | 00        | 18 | 50       |
| सिवनी                                          | लखनादौन | कुहिया      | 120/2     | 00        | 24 | 13       |
| सिवनी                                          | लखनादौन | बरबटी       | 187/8     | 00        | 04 | 20       |
| सिवनी                                          | लखनादौन | किसनपुर     | 189/5     | 00        | 07 | 67       |
| सिवनी                                          | लखनादौन | खुरसीपार    | 65/2      | 00        | 00 | 75       |
|                                                |         |             | 63/1      | 00        | 02 | 01       |
|                                                |         |             | 74        | 00        | 02 | 06       |
|                                                |         |             | 46/8      | 00        | 00 | 77       |
| सिवनी                                          | लखनादौन | बंजारी      | 160       | 00        | 01 | 83       |
| सिवनी                                          | लखनादौन | मोहगांव     | 105       | 00        | 28 | 54       |

[फा. सं. एल-14014/4/2024-जीपी-II (ई-48898)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2024

**S.O. 3756(E).**— Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 412 dated 23.02.2024 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated 03.03.2024 - 09.03.2024, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through **Nagpur – Jabalpur Pipeline section of Mumbai – Nagpur – Jharsuguda Pipeline Project** in the State of **Madhya Pradesh** by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

| Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline |           |               |            |       |     |          |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------|-----|----------|
| Section- Nagpur – Jabalpur                    |           |               |            |       |     |          |
| SCHEDULE                                      |           |               |            |       |     |          |
| State : Madhya Pradesh                        |           |               |            |       |     |          |
| District                                      | Tehsil    | Village       | Survey No. | Area  |     |          |
|                                               |           |               |            | Hect. | Are | Sq. mtr. |
| 1                                             | 2         | 3             | 4          | 5     |     |          |
| Chhindwara                                    | Chaurai   | Narayanpur    | 7          | 00    | 01  | 05       |
| CHHINDWARA                                    | Chaurai   | JAMUNIYA      | 338        | 00    | 01  | 00       |
|                                               |           |               | 342/1/6    | 00    | 12  | 75       |
| Seoni                                         | Seoni     | Jaitpurkhurd  | 112        | 00    | 02  | 69       |
| Seoni                                         | Seoni     | Chandorikalan | 543/7      | 00    | 01  | 05       |
| Seoni                                         | Seoni     | Jamuniya      | 617/1      | 00    | 16  | 90       |
| Seoni                                         | Chhapara  | Ghoghari-14   | 2/3        | 00    | 18  | 50       |
|                                               |           |               |            |       |     |          |
| Seoni                                         | Lakhnadon | Kuhiya        | 120/2      | 00    | 24  | 13       |
| Seoni                                         | Lakhnadon | Barbati       | 187/8      | 00    | 04  | 20       |
| Seoni                                         | Lakhnadon | Kisanpur      | 189/5      | 00    | 07  | 67       |
| Seoni                                         | Lakhnadon | Khursipar     | 65/2       | 00    | 00  | 75       |
|                                               |           |               | 63/1       | 00    | 02  | 01       |
|                                               |           |               | 74         | 00    | 02  | 06       |
|                                               |           |               | 46/8       | 00    | 00  | 77       |
| Seoni                                         | Lakhnadon | Banjari       | 160        | 00    | 01  | 83       |
| Seoni                                         | Lakhnadon | Mohgaon       | 105        | 00    | 28  | 54       |

[F. No L-14014/4/2024-GP-II (E-48898)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.